International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 04, No. 03(I), July - September, 2022, pp. 67-74

बाल श्रम – एक चुनौती

सुशीला देवी यादव*

सार

''रोटी खेल पढ़ाई और प्यार हर बच्चे के बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार हैं जिन्हें हर हाल में उन्हें मिलना सुनिश्चित करना होगा।''

–कैलाश सत्यार्थी

जिन बच्चों के हाथों में कलम व किताब होनी चाहिए, उनके हाथों में खतरनाक रसायनिक पदार्थ उत्पाद हैं। बच्चे कल के भविष्य हैं। भारत में आतिशबाजी, माचिस, बीड़ी, कांच, पीतल बर्तन आदि खतरनाक दशाओं में करोड़ों की संख्या में बच्चे काम कर रहे हैं। बाल श्रम एक जटिल और विकराल समस्या है। बाल श्रम के विशाल आकार, अवधारणा, कारण, समाधान और उसके लिए राष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका आदि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस शोध में हम बाल श्रम की अवधारणा समस्या के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, विनिर्माण, बाल श्रम के कारणों मुख्य रूप से गरीबी के इर्द–गिर्द विश्लेषण। राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्य प्रणाली का विवेचन,भारत सरकार के संविधानिक वैधानिक प्रावधानों के साथ ही राष्ट्रीय बाल श्रम नीति और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की भूमिका का वर्णन बाल श्रम का बच्चों के शारीरिक आर्थिक मानसिक प्रभावों की संक्षिप्त व्याख्या करेंगे।

शब्दकोश : *बाल अधिकार, बाल श्रम, संवैधानिक प्रावधान, शोषण।*

प्रस्तावना

शोध के उद्देश्य

- बाल श्रम की स्थिति का अध्ययन
- बाल श्रम को समाप्त करने के लिए प्रयास करना बाल श्रम के लिए जागरूकता लाना

शोध प्रविधि

- ऐतिहासिक प्रविधि के द्वारा शोध कार्य किया है। भारत की जनगणना के आंकड़ों का एवं राज्य बाल संरक्षण आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों का अध्ययन किया गया है।

परिचय

बचपन महज एक खास उम्र ही नहीं,बल्कि एक जीवन मूल्य है,जो हमें सरल सहज और पारदर्शी बनाए रखता है। और इसी सरलता सहजता से प्रत्येक इंसान ही नहीं वरन जानवरों को भी प्रेम होता है इसीलिए हम देखते हैं कि जानवर भी अपने बच्चों के देखभाल करते हैं उन्हें लाड प्यार करते हैं परंतु हम देखते हैं कि इंसान यह प्रेम यह देखभाल सिर्फ अपने बच्चों तक ही करता है दूसरे के बच्चों के प्रति उसके मन में यह लगाव एव प्रेम की भावना नहीं आती।जिसके कारण अभी तक हमारे देश में बाल श्रम बना हुआ है।जब हम दीपावली,

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

दशहरे, शादी ब्याह, खुशी के मौकों पर आतिशबाजी चलाते हैं,तब हम यह भूल जाते हैं, कि इन आतिशबाजी को बनाने में कितने बच्चों का बचपन लगा है।हमारे घरों को रोशन करने के लिए बिजली के बल्ब बनाने वाले बच्चे पिघले हुए शीशे के धुए में अपने शरीर को बर्बाद करके हमेशा के लिए एक अंधेरी जिंदगी में धकेल दिए जाते हैं। इन सब को अनदेखा कर हम भी बाल अधिकार हनन के दोषी बन जाते है।

''बच्चा से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो 18 वर्ष से कम आयु का है बशर्ते बच्चे पर लागू होने वाले कानून के तहत,बच्चा इस उम्र व्यस्तता को प्राप्त नहीं कर ले।''

- अनुच्छेद 1, बच्चा होने का अधिकार, राष्ट्र संघ, 1989
- ''बच्चे से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का 14 वर्ष पूरा नहीं किया है।''
- अनुच्छेद 24 भारतीय संविधान
- मोटर परिवहन कामगार अधिनियम 1961

इस तरह हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 18 वर्ष और भारत में भारतीय संविधान में बच्चों के लिए आयु 14 वर्ष के नीचे निर्धारित है इन दोनों में लगभग 4 वर्ष की आयु का अंतर है आयु का निर्धारण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा स्थानीय कारकों को ध्यान में रखकर किया गया होगा।

''बच्चों द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो उसके कम से कम शिक्षा या मनोरंजन की आवश्यकता में विघ्न डालती है उन्हें बाल श्रमिक की परिभाषा के अंतर्गत लाती है।''

होमर फोकस, अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल श्रमिक समिति, अमेरिका

''जब एक बच्चा किसी ऐसे काम में सलंगन होता है,जो उनको अवकाश,खेलकूद एवं शिक्षा से वंचित करता है। तो उसे बालश्रमिक कहा जाता है। इस प्रकार बाल श्रमिक वह बच्चा है जिसने 14 वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया तथा जो मजदूरी सहित या मजदूरी रहित किसी के लिए काम करता है।''

चाइल्ड लेबर वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट 2000 पृष्ठ 1

''अधिकार आधारित उपागम के आधार पर बाल श्रमिक में वे सभी बच्चे शामिल है, जो विद्यालय से बाहर हैं, भले ही वह कृषि में, उद्योग में या घर में काम कर रहे हैं।''

संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम 2001

बाल श्रम के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, औद्योगिक विकास ने तो मानो विशेषकर औद्योगिक क्रांति के उपरांत विभिन्न क्षेत्रों में शोषण के महाद्वार को पूरी तरह खोल दिया।

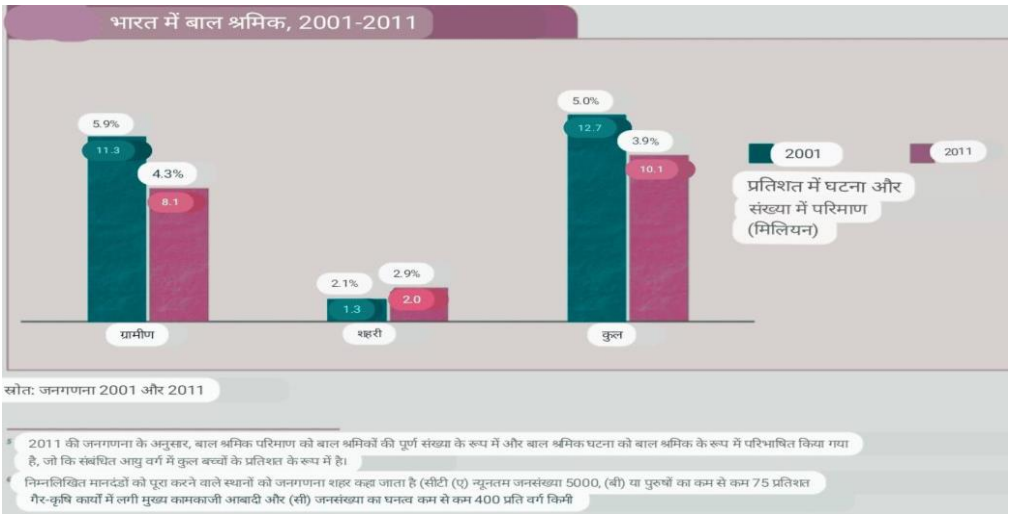

बाल श्रम एक सामाजिक बुराई है, जिसमें एक बचपन को उसकी शारीरिक क्षमताओं से ज्यादा कार्य करवाया जाता है जिसके कारण उसका हंसता खेलता बचपन एक वयस्क चेहरे में परिवर्तित हो जाता हैऔर यही विभक्त चेहरा बाल श्रमिक कहलाता है व्यापक अर्थ में बाल श्रम में 18 वर्ष से कम आयु समूह के सभी बच्चे शामिल होते हैं जो किसी ना किसी कार्य में लगे हैं भले ही उसके लिए उनको भुगतान किया जाए अथवा नहीं यहां एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि बाल श्रमिक की परिभाषा में मजदूरी से बड़ा आधार शिक्षा और विकास के अन्य अवसरों से वंचित होना है यदि कोई बच्चा काम करता है वह उसके लिए उसे मजदूरी नहीं मिलती है या यदा–कदा मिलती है या नाम मात्र की मिलती है,इन सभी स्थितियों में इसे बाल श्रमिक ही कहा जाएगा। वर्तमान युग आर्थिक युग है। जिसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग लाभ कमाना चाहता है। लाभ कमाने के लिए वह खर्च कम से कम करना चाहेगा, इसीलिए जो मालिक है वह मजदूरों को भुगतान कम करने के लिए यह काम वयस्कों से करवाने के स्थान पर बच्चों से करवाना पसंद करते हैं।विज्ञान एवं उद्योगों की प्रगति ने बाल मजदूरी को बढ़ाया है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 8,48,386 बाल श्रमिक है। जो 2001 के 12,62,570 राजस्थान में बाल श्रमिकों की संख्या में भारी कमी आई है 2011 की जनगणना से पता चलता है कि 59.2 प्रतिशत बालश्रमिक साक्षर है और 40.8 प्रतिशत निरक्षर हैं। राजस्थान में बाल श्रमिक कृषि वानिकी और मछली पालन के क्षेत्र में अत्यधिक केंद्रित है, उसके बाद व्यापार होटल परिवहन और संचार है। राजस्थान के आकर्षण के केंद्र प्रतापगढ़ में पर्यटन उद्योग, बांसवाड़ा में पर्यटन उद्योग, जालौर में व्यापार उद्योग और धौलपुर में पर्यटन उद्योग में बाल श्रमिक सक्रिय हैं। परंपरागत रूप में जैम पॉलिशिंग उद्योग एवं घर आधारित उद्योगों में बाल श्रमिक कार्यरत हैं।बालिकाएं मुख्य रूप से मनका बनाने और खुरदुरे पत्थरों को काटने में शामिल होती हैं। जालौर चूना पत्थर और पत्थर की खदान, जयपुर मनी पॉलिशिंग, बीकानेर कालीन बुनाई, अजमेर पर्यटन, धौलपुर संगमरमर, बांसवाड़ा बांस के काम और पत्थर की खदान भीलवाड़ा में परिधान बाल श्रम की प्रमुख गतिविधियों के केंद्र हैं यहां सस्ते श्रम की आवश्यकता के परिणाम स्वरुप बाल श्रम की मांग हमेशा रहती है।

बाल श्रमिक के लिए 3 आर्थिक क्षेत्र होते हैं जिन क्षेत्रों में वह कार्य करते हैं –

- कृषि क्षेत्र
- विनिर्माण क्षेत्र
- सेवा क्षेत्र

सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन बुद्धिजीवियों समाजशास्त्रीय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष समितियों की रिपोर्ट विशेष बालचरण अध्ययनों के आधार पर जो तथ्य उभरकर सामने आते हैं वह यह है कि बाल श्रम समस्या की मौजूदगी के कई कारण है जैसे गरीबी, आर्थिक विषमता, जनसंख्या का आधिक्य वयस्कों में बेरोजगारी, शिक्षा बाल विकास की रणनीति, बाल दर्शन आदि बाल श्रम भारत की एक गंभीर

समस्या है इसे रोकने के लिए भारतीय संविधान भारतीय श्रम कानून भारतीय बाल नीति बाल श्रम विरोधी कार्यक्रम भारतीय न्यायपालिका एवं स्वैच्छिक संगठनों की गतिविधियों में बहुत प्रयास किए हैं।भारत सरकार और भारतीय समाज द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि यहां बाल श्रम उन्मूलन के लिए कुछ भी नहीं हो रहा बाल श्रम उन्मूलन के लिए किए गए राजकीय प्रयास इस प्रकार हैं।

भारत के संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि बच्चे समाज का सबसे कमजोर वर्ग होते हैं। इसीलिए उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास के लिए और उन्हें शोषण से बचाने के लिए संविधान में निम्न प्रावधान किए गए ।

- अनुच्छेद 15(3)–बच्चों के लिए अलग से क़ानून बनाने का अधिकार देता हैं।
- अनुच्छेद 21ए –(6–14) वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
- अनुच्छेद 23 – बच्चों की ख़रीद और बिक्री पर रोक लगाता हैं।
- अनुच्छेद 24 – 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ख़तरनाक कामों में प्रतिबन्ध।
- अनुच्छेद 39 – नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाला ये अनुच्छेद में बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश देता हैं।
- अनुछेद 45 – नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाला इस अनुच्छेद में भी 6 वर्ष से 14 वर्ष कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की ज़िम्मेदारी राज्यों की हैं।
- अनुच्छेद 51ए– माता पिता पर बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने का एक मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता हैं।

बाल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए क़ानून

संवैधानिक उपबंधो एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर समय–समय पर अनेक कानून बनाए गए हैं। जिनका लक्ष्य जोखिम भरे उद्योगों से बाल श्रम का उन्मूलन तथा अन्य गैर जोखिम भरे व्यवसायों में रोजगार की उनकी दशाओं का विनियमन करना हैं।

- कारखाना अधिनियम 1948 – 14 साल तक की आयु वाले बच्चों को कारखाने में काम करने से रोकता हैं।
- बाल रोजगार संशोधित अधिनियम 1951
- बाल श्रम अधिनियम 1951
- खदान अधिनियम 1952 – 18 साल से कम आयु वाले बच्चों को खदानों में काम करने पर प्रतिबन्ध लगाता हैं
- अनैतिक तस्करी (बचाव) अधिनियम 1956
- व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम 1958
- मोटर ट्रांसपोर्ट मजदूर अधिनियम 1961
- बीड़ी और सिगार मजदूर अधिनियम 1966
- बाल रोजगार अधिनियम संशोधित 1978
- बाल श्रम अधिनियम 1986 – 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जीवन जोखिम में डालने व्यवसायों में काम करने पर रोक लगाता हैं।
- राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987
- किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 – बच्चों के रोज़गार को दंडनीय
- बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006

- राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 2007 – बाल अधिकारों के उल्लंघन के जुड़े मसले को सुलझाने का काम
- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013
- बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2016

इस तरह हम देखते हैं कि बाल अधिकारों को चार भागों में बांटा जा सकता है :

- **जीवन जीने का अधिकारः** पहला हक़ है जीने का, अच्छा खाने पीने का, लड़का हो या लडकी हो, सेहत सबकी अच्छी हो।
- **संरक्षण का अधिकारः** फिर हक़ है संरक्षण का, शोषण से है रक्षण का श्रम, व्यापार या बाल विवाह से नहीं करें बचपन तबाह।
- **सहभागिता का अधिकारः** तीसरे हक़ की बात करें, सहभागिता से उसे कहें, मुद्दे हों उनसे जुडे तो, बच्चों की भी बात सुनें।
- **विकास का अधिकारः** चौथा हक़ विकास का, जीवन मे प्रकास का, शिक्षा हो गुण्वत्तायुक्त, मनोरंजक पर डर से मुक्त।

बाल अधिकारों को साकार रूप देने के लिए भारत सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के माध्यम से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर बाल अधिकारों के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया।इस अधिनियम में कुल 37 धाराएं हैं तथा 7 अध्याय हैं। जिसे 15 फरवरी 2007 को लागू कर दिया गया। आयोग का मुख्य कार्य बच्चों के विकास और उससे संबंधित समस्याओं की विभिन्न पहलुओं का अध्ययन और समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाना है।

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की धारा 17 के अंतर्गत राजस्थान में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक स्वतंत्र राज्य स्तरीय वैधानिक निकाय की स्थापना 23 फरवरी 2010 में की गई। आयोग राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग व अन्य राज्य के आयोगों में समन्वय स्थापित कर बाल अधिकारों को प्रोत्साहन देने व संरक्षण के लिए कार्य करता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रशासनिक विभाग है। राज्य आयोग से संबंधित 15 नियम बनाए गए हैं। मूल अधिनियम की धारा 17 से 24 तक में राज्य आयोग के गठन,कार्यकाल, पदमुक्ति, अधिका, कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया हैं। राज्य आयोग के लिए वे ही प्रावधान किए गए हैं जो राष्ट्रीय आयोग के लिए हैं।

- आयोग का गठन धारा 17
- अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति धारा 18
- पदावधि एवं सेवा शर्तें धारा 19
- वेतन भत्ते धारा 20
- सचिव व अन्य कर्मचारी धारा 21
- इनके वेतन भत्ते धारा 22
- वार्षिक प्रतिवेदन धारा 23
- कृत्य एवं शक्तियां धारा 24

आयोग के उद्देश्य

आयोग के उद्देश्य बाल अधिकारों की पहचान करना उन को बढ़ाना उनके संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाना हैं।

बच्चों से संबंधित सभी गतिविधियां नीतियां कार्यक्रम और क्रियाओं संस्थागत तंत्र एवं भारतीय संविधान एवं यूएनसीआरसी के अनुरूप क्रियान्वयन में लागू होना सुनिश्चित करना हैं।

- यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे अपना जीवन सम्मान के साथ जी सके।
- अपनी आवाज को प्राथमिकता एवं ईमानदारी के साथ प्रत्येक स्तर पर पहुंचा सके
- बच्चों हेतु राज्य में मैत्रीपूर्ण वातावरण का निर्माण करना बच्चों का सर्वांगीण विकास करना

क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है। बच्चों की रक्षा के लिए आयोग के द्वारा विभिन्न प्रकोष्ठो के अंतर्गत कार्य किए जाते हैं जैसे,

- किशोर न्याय देखभाल प्रकोष्ठ
- पोक्सो प्रकोष्ठ
- शिक्षा अधिकार प्रकोष्ठ
- बाल श्रम प्रकोष्ठ
- पोषण एवं स्वास्थ्य प्रकोष्ठ
- विशेष योग्यजन प्रकोष्ठ

आयोग के द्वारा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के अध्याय 6 के धारा 31 के अंतर्गत अधिनियम की मॉनिटरिंग की जाती है और अधिनियम का उल्लंघन होने पर परिवारों की जांच की जाती है।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (च्व्ब्ब्) की धारा 44 एवं संगत नियम छह के तहत आयोग मामलों की जांच करता हैं। अपराध के पीड़ितों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए व्यवस्था करता हैं। बालकों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देता हैं। पीड़ित को त्वरित मुआवजा राशि दिलवाने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 17 के अंतर्गत आयोग को मॉनिटरिंग का दायित्व सौंपा हैं।इसमें आयोग को दीवानी मामलों में प्राप्त समस्त शक्तियां प्राप्त हैं। आयोग के द्वारा बाल अधिकारों की रक्षा के लिए समय–समय पर जागरूकता रैली आयोजन सेमिनार किए जाते हैं बाल श्रम प्रकोष्ठ के द्वारा बाल श्रम को बढ़ने से रोकने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए 12 जून बाल श्रम दिवस विशेष के उपलक्ष में सेमिनार का आयोजन किया गया बाल श्रमिकों को मुक्त करवाकर उनके पुनर्वास के लिए व्यवस्था की गई।

स्वास्थ्य एवं पोषण प्रकोष्ठ बच्चों के लिए उचित पोषण उपलब्ध करवाने के प्रयास करता हैं। यदि हम आयोग द्वारा किए गए कार्यों का गत वर्षों के आधार पर मूल्यांकन करें तो आयोग के पास अब तक 1397 शिकायतें आई,जिसमें से आयोग ने 721 शिकायतों का निस्तारण कर दिया । आयोग के पास 676 शिकायतें अभी लम्बित हैं, इस तरह हम देखे तो आयोग के कार्य करने की गति मध्यम है और आयोग को दीवानी मामलों के संबंध में शक्तियां प्राप्त हैं जिसके कारण आयोग आरोपी के विरुद्ध दंडात्मक रूप से कोई कार्यवाही नहीं कर सकता हमें बाल अधिकारों की रक्षा के लिए इन्हें और मजबूत करना होगा।

सुझाव

भारत जैसे देश में जहां चुनौतियां विविध हो समस्याएं विकराल हो सामाजिक विषमता और साक्षरता का स्तर काफी नीचे हो इन परिस्थितियों में आयोग के कार्य एवं दायित्व को व्यापक करने की आवश्यकता है।

बाल संरक्षण अधिनियम 2005 में आयोग को दीवानी मामलों के संबंध में शक्ति प्राप्त है बाल अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग को दंडात्मक शक्ति प्रदान की जाए।

अधिनियम में प्रावधान है कि आयोग ऐसे किसी मामले की जांच नहीं करेगा जो राष्ट्रीय आयोग अथवा किसी अन्य विधि के अधीन पूर्णतया गठित किसी अन्य राज्य आयोग के समक्ष लंबित हो इस शर्त को हटाया जाए ताकि आयोग बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए से कार्य कर सकें।

विभिन्न कानूनों कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी सभी संबंधित सरकरे कर्मियों, स्वैच्छिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों की बाल श्रम उन्मूलन हेतु जवाबदेही निर्धारित की जाए।

निष्कर्ष

बाल श्रम के कारण बच्चे अपने जीने के अधिकार और सम्पूर्ण विकास से वंचित हो जाते हैं उनकी समाज में सुरक्षा एवं सहभागिता न के बराबर रह जाती हैं। उन का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होता हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं बाल अवस्था मानव जीवन के सबसे संवेदनशील अवस्था होती हैं जिसमें बच्चों को अधिकारों की आवश्यकता होती है, परंतु व्यक्ति के स्वार्थों के कारण बच्चों का पूर्ण विकास रुक जाता है बालकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में स्वतंत्रता से पूर्व एवं पश्चात बाल श्रम समस्या के उन्मूलन के संबंध में समय–समय पर कानूनों की व्यवस्था की गई साथ ही बालकों से संबंधित अधिनियम, न्यायिक निर्णय, संविधान एवं स्वैच्छिक संगठनों ने भी इस इसे रोकने के लिए महत्वपूर्ण कार्य और प्रयास किए। बाहरी का संरक्षण आयोग बालकों के अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस संबंध में आयोग समय समय पर उचित अनुशंसा एवं निर्देश जारी करता है तथा अपनी समीक्षा रिपोर्ट सरकार को प्रेषित करता हैं। आयोग ने जनसाधारण में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी प्रयास कर रहा हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. एक बच्चा होने का अधिकार, (1994), कौन है एक बच्चाश.नई दिल्ली, यूनिसेफ भारत की पृष्ठभूमि दस्तावेज
2. कुलश्रेष्ठ, जे.सी.(1998), चाइल्ड लेबर इन इंडिया .नई दिल्ली,एशिया पब्लिशिंग हाउस
3. पांडे, मंजू (1998), भारत में बाल श्रमिकरू कालीन उद्योग का अध्ययन.दिल्ल, मानक पब्लिकेशन
4. गाबा, ओ. प. (2011), राजनीतिक चिंतक की रूपरेखा .नोएडा, मयूर पेपर बैक्स
5. शर्मा, सुभाष.(2009), भारत में मानवाधिकार. नई दिल्ली,नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया
6. यादव, रविप्रकाश .(2008), बालश्रम समस्या एवं समाधान. जयपुर,आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स
7. चौधरी, संजय (2007), बालश्रम एक अभिशाप.नई दिल्ली,मानव संसाधन विकास मंत्रालय
8. शर्मा, श्रीनाथ (2007), बालश्रम, सागर मध्य प्रदेश, अमन प्रकाशन
9. भारत (2011), प्रकाशन विभाग,सूचना और प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार, दिल्ली
10. जैन, महावीर, के सी खुराना (2010), बाल विकास का मुद्दा .दिल्ली,मानक पब्लिकेशन प्रा लि. प्रथम संस्करण
11. अनीश भसीन (2013), जानिए मानव अधिकारों को.नई दिल्ली,ग्रंथ अकादमी संस्करण 2013
12. मिश्र, सुरेंद्र कुमार (2003), मानव अधिकार एवं बालश्रम .नई दिल्ली, निर्मल पब्लिकेशन , संस्करण 2003
13. न्यायमूर्ति एन.के. जैन, बालकों के अधिकार, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग शासन सचिवालय, जयपुर
14. तनेजा, डॉ पुष्पलता (2013), मानवाधिकार और बाल शोषण, नई दिल्ली, प्रभात प्रकाशन
15. वाजपेई, आशा (2017), चाइल्ड राइट इन इंडिया OUP 3 edition

16. चोपड़ा, गीता (2015), चाइल्ड राइट इन इंडिया चौलेंजिंग एंड सोशल एक्शन . नई दिल्ली
17. त्रिपाठी, प्रदीप(2002), मानवाधिकार एवं भारतीय संविधान, नई दिल्ली, राधा पब्लिकेशन
18. कैलाश सत्यार्थी (2018), बदलाव के बोल .प्रभात प्रकाशन प्रथम संस्करण
19. https://labour.gov.in/hi/childlabour/census-data-child-labour
20. http://rscpcr.rajasthan.gov.in/ContactUs.aspx
21. https//specialcoveragenews.in/national/weakness-of-labor-laws-can-lead-to-increased-child-labor-and-trafficking-after-lockdown-1135385
22. https://www.unicef.org/india/hi/node/321
23. http ://ssa. nice. in
24. www.yashada.org
25. www.pratham.org
26. www.ilo.org/child labour
27. http ://www.save the children. Org. UK